[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2019

सा.का.नि. (अ). जब कि बंग्लादेश या नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष वाली अधिसूचना संख्या 14/9/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, जिसे दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत बंग्लादेश या नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी ।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने बंग्लादेश या नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था**;**

और जहां कि, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 जिसे सा.का.नि. 11(अ.), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था के तहत बंग्लादेश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित जूट सैंकिंग बैग्स के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए तथा बंग्लादेश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "जूट सैकिंग क्लोथ" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5310 के अंतर्गत आते हैं का आयात करने के लिए जूट सैकिंग बैग्स के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सर्कमवेन्शन के मामले में अधिसूचना संख्या 7/3**/**2018- डीजीएडी, दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत जांच कार्य शुरू किया था ।

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 7/3**/**2018-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च, 2019 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि,**-**

(i) प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने के बाद से सैकिंग क्लोथ का आयात बढ़ गया है,
(ii) सैकिंग क्लोथ से सैकिंग बैग्स बनाने में जो मूल्य संवर्द्धन होता है वह सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 में निर्धारित 'थ्रेसोल्ड' सीमा से बहुत कम है,
(iii) सैकिंग क्लोथ के आयात से सैकिंग बैग्स पर अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 जिसे सा.का.नि. 11(अ.), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अपनाए गए प्रतिपाटन उपायों के उपचारात्मक प्रभावों को कम कर दिया है ।

और उन्होंने अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के द्वारा जूट सैकिंग बैग्स पर लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को जूट सैकिंग क्लोथ पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा धारा 9क की उप धारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आता है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (10) की ही तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5310	सैकिंग क्लोथ	सभी रूपों के और विशिष्टता वाले	बंग्लादेश	बंग्लादेश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	अमेरिकी डालर/मै.टन
2.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमेरिकी डालर/मै.टन
3.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उत्पादक जिनकी डम्पिंग मार्जिन नीचे दी गई सूची के अनुसार नगण्य/ऋणात्मक है*		शून्य	अमेरिकी डालर/मै.टन
4.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उत्पादक/निर्यातक, नीचे दी गई सूची के अनुसार जिनका नमूना नहीं लिया गया**		125.21	अमेरिकी डालर/मै.टन
5.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन
6.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन
7.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	बंग्लादेश	कोई भी	कोई भी	138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन

* उन उत्पादकों की सूची जिनकी डंपिंग मार्जिन नगण्य/ऋणात्मक है:

(1) मैसर्स मोना जूट मिल्स लिमिटेड लिमिटेड

(2) मैसर्स अरनु जूट मिल्स लिमिटेड

(3) मैसर्स रहमान जूट मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
(4) मैसर्स जमना जूट मिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(5) मैसर्स सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
(6) मैसर्स सीडलॉ टेक्सटाईल्स **(**बंग्लादेश**)** लिमिटेड मैसर्स
(7) मैसर्स पारटेक्स जूट मिल्स लिमिटेड बंग्लादेश
(8) मैसर्स आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(9) मैसर्स नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
(10) मैसर्स माईमैनसिंह जूट मिल्स लिमिटेड

** उन उत्पादकों/निर्यातकों की सूची जिनका नमूना नहीं लिया गया:
(1) रहमान जूट मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
(2) शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड
(3) गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(4) पूर्वी ट्रेडिंग
(5) सोनाली अंश ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
(6) राजबारी जूट मिल्स लिमिटेड
(7) नवपाड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(8) नवपाड़ा जूट मिल्स लिमिटेड
(9) ऊषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड
(10) बी.एस. जूट स्पिनर्स लिमिटेड (BSJSL)
(11) मदीना जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(12) नादर्न जूट मैन्युफेक्जरिंग कंपनी लिमिटेड
(13) जूट स्पिनर्स लिमिटेड
(14) मैसर्स नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स (बीडी) लिमिटेड"

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगेगा यदि-

(i) जब जूट सैकिंग बैग्स को बनाने वाले से भिन्न किसी माल विनिर्माता के द्वारा ऐसे माल का आयात किया जाता हो;

(ii) आयातकर्त्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात), नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करता हो;

(iii) आयातकर्त्ता, उपायुक्त**,** सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त**,** सीमा शुल्क**,** जैसी भी स्थिति हो**,** को इस बात की अंडरटेकिंग देता है कि **;**

(क**)** वह आयातित माल का प्रयोग किस वांछित उद्देश्य के लिए करेगा **;**

(ख**)** वह आयातित जूट सैकिंग क्लोथ का प्रयोग जूट सैकिंग बैग्स को तैयार करने में नहीं किया जाएगा**;** और

(ग**)** यदि वह उपवाक्य (ख) का अनुपालन नहीं कर पाता है तो वह उतनी राशि का भुगतान करेगा जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित माल पर लगने वाले शुल्क के बराबर हो ।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)**,** दिनांक 05 जनवरी**,** 2017**,** जिसे सा.का.नि. 11(अ.)**,** दिनांक 05 जनवरी**,** 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था**,** के द्वारा जूट सैकिंग बैग्स पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक होगा । इस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार